

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक:- 931 / 3-2 बजट (NPV)/24-25

दिनांक

// मार्च, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी डैम-II वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:-

वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0-1318/3-5 दिनांक 06 मार्च, 2025।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद-42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रु 135.28 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड www.ukcampa.org.in पर fund released section में भी अपलोड है।

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (NPV) के **Streamshed Management under soil and water Conservation works under DTRS** गतिविधि हेतु **भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक-1** के अनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक-NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, (कैम्पा वेबसाईड में अपलोड) व शासकीय पत्रांक-1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. अन्य नियम व शर्तें:-
 - i. कार्यो का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
 - ii. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली- 2018' में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए-

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली- 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति, के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहाँ कहीं लागू हों, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहाँ भी लागू हों, के अनुरूप होंगे।

- III. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
- IV. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (Latitude & Longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
- V. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो।
- VI. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा-निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- VII. कार्यों के संपादन हेतु समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- VIII. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
- IX. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- X. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
- XI. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न कराये जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- XII. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
- XIII. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो विलप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक-आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
- XIV. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंगत विवरण अंकित हो।
- XV. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।
- XVI. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
- XVII. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीकरण, IWLMP एवं मृदा जल संरक्षण आदि कार्य न किया जाए।
- XVIII. कैम्पा के कार्यों में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक:- 931 /3-2 बजट (NPV)/ 24-25 दिनांकित
प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद-42 अन्य विभागीय व्यय अंतर्गत वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक नि0-1318/3-5 दिनांक 06 मार्च, 2025 से आवंटित रु 135.28 लाख के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

Streamshed Management under soil and water Conservation works under DTRS गतिविधि		
जोन स्तर से संस्तुति सहित प्राप्त एस0एम0सी0 डी.टी.आर. प्रथम वर्ष 2024-25 हेतु आवंटन		
प्रभाग का नाम	भौतिक (स्ट्रीम का नाम)	आवंटित धनराशि (रु लाख में)
1	2	3
गढवाल जोन		
टिहरी वन प्रभाग-द्वितीय	हरेती नाला	42.08
	जुगल्डी कैलाथ धारा	48.72
	उपरीकोट नाला	44.48
योग-		135.28


Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA


प्रेषक

रोमिल चौधरी
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी डैम वन प्रभाग-द्वितीय, उत्तरकाशी।

देहरादून: दिनांक: 06 मार्च, 2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :- 1-शासनादेश संख्या 771/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 09 मई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24050270004 दिनांक 09.05.2024 आवंटित बजट ₹2,00,00,000/- (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2-शासनादेश संख्या 797/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 15 मई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24050270005 दिनांक 15.05.2024 आवंटित बजट ₹3,24,58,000/- (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
3-शासनादेश संख्या 958/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 27 जून, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24060270006 दिनांक 27.06.2024 आवंटित बजट ₹30,09,00,000/- (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
4-शासनादेश संख्या 1235/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 10 जुलाई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी- S24070270006 दिनांक 10.07.2024 आवंटित बजट ₹16,48,00,000/- (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
5-शासनादेश संख्या 1767/X-2-2024-12(07)2021 (E-72660) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी- S24090270010 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹15,18,23,000/- (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
6-शासनादेश संख्या 1573/X-2-2024-12(07)2021 (E-74356) दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी- S24100270006 दिनांक 11.10.2024 आवंटित बजट ₹1,33,00,19,000/- (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,


उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या-27, लेखाशीर्षक "2406-04-103 03-04- वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹2,00,00,00,000/- (दो अरब मात्र) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹1,96,80,35,093/- (एक अरब छियानबे करोड़ अस्सी लाख पैंतीस हजार तिरानबे मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹1,35,28,000/- (एक करोड़ पैंतीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम वन प्रभाग-द्वितीय, उत्तरकाशी को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:-

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्रांक NA-15/1/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक NA-15/1/2020-NA दिनांक 24.05.2024 एवं पत्रांक NA-15/1/2020-NA दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिये किया जाय।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।

4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मासिक व्यय विवरण/बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4/मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,


(रोमिल चौधरी)
वित्त नियंत्रक

संख्या: नि0 1318/3-5 (वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य) तद्दिनांकित।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभाग को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना/नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तरकाशी को IFMS पोर्टल से ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस/मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त


(रोमिल चौधरी)
वित्त नियंत्रक

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (4260)
Treasury-Uttarkashi(4100)

DDO-DFO Tehri Dam IInd Division Uttarkashi(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1318/3-5

आवंटन आई डी - H25030270033

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 05-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

- 2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी
103 राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा
04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य

- 04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
03 राज्य प्राधिकरण

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	31395000	13528000	29876368	44923000
	योग	31395000	13528000	29876368	44923000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,35,28,000 (Rupees One Crore Thirty Five Lacs Twenty Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2503:0033

Approval Status : e-Sign letter